रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 489] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 1987/आश्विन 7, 1909
No. 489] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 1987/ASVINA 7, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1987

आदेश

का.आ. 869(अ) :—अनिवार्य पण्य अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस मंत्रालय के आदेश सं. 32-2/85-एल.डी. 2 दिनांक 21 अगस्त, 1987 में संशोधन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्-

द्वारा निदेश देती है कि उक्त आदेश की अनुसूची में मद संख्यांक 9 प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात :—

'तिल और मूंगफली की खली''।

[सं. 32-2/85—एल डी.-2]
एस. वी. गिरी, अपर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 29th September, 1987

ORDER

S.O. 869(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and in modification of this Ministry's Order No. 32-2/85-LD. II dated the 21st August, 1987, the Central Government hereby directs that in the Schedule to the said Order, for entry number 9, the following entry shall be substituted namely :—

"Oil cakes of til and groundnut".

[No. 32-2/85-LD. II]
S. V. GIRI, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987